

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
मैनुअल नं.122/प्रा.पत्र/2024  
( GCMS No. 2024 / 186 )

तारीख दायरा  
14.10.2024

तारीख निर्णय  
27.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

### बनाम

शंकर पुत्र देवा जाति बैरवा,  
निवासी ग्राम पटियाल, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956  
उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

### निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी शंकर पुत्र देवा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 1045/103 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाकेग्राम खडीपुर (हाल करौंदी) आवंटन आदेश दिनांक 13.02.1983 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 122/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/186 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त रिपोर्ट अनुसार शंकर पुत्र देवा बैरवा की मृत्यु हो चुकी है एवं मौतबिरानों से उसके वारिसान की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से आवंटी का फोती नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विधिक वारिसान की सुनवाई किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

  
जिला कलक्टर, बून्दी





उपरोक्त विवेचन के आधार एवं विधिक प्रावधानों की अनुपालना में उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी शंकर पुत्र देवा जालि बैरवा निवासी पटियाल को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 103 रकबा 15 बीघा हाल खसरा संख्या 1045/103 रकबा 2.4281 हैक्टयर हैक्टयर वाकेग्राम खडीपुर (हाल ग्राम करौंदी) दिनांक 13.02.1983 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेजा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसेले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदायरा)  
जिला कलेक्टर बून्दी